

6.9.22

पञ्जावली पेश डडी वकील अपील-2
 जी राजेश कुमार सोजरवाल उपस्थित।
 वकील अपील-2 द्वारा पञ्जावली की
 कोर्टिका पर उनके पत्राचार की ओर
 से अपील को भेजा जाने अपना
 अपील में कोई कठिनाई कार्रवाई किए जाने
 के संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं दिया जाना
 चाहिए किन्तु और इस संबंध में कोर्टिका
 पर अपने उत्तरों भेजिए किए जाए ह
 अपील-2 का निम्न दिनांक के न्यायालय
 द्वारा प्र उपस्थित नहीं होना एवं अपील
 की ओर से अपने वकील को इस
 अपील में विधिवत देखी किए जाने

→ PTO

No Instructions

Buhs
रज.

(राजेश सोजरवाल)
वकील अपील-2

टेबु कोई दिखाना नहीं देना उनकी
 इस अपील को आगे नहीं चलाए जाने
 की मंशा को दर्शाता है ऐसी परिस्थिति में
 निधिवत् पेशी न किए जाने से अब स्वयं
 अपील-2 अपना उनके वकील की ओर से
 अपील में पेशी किए जाने की कोशिश
 रिलयन्सी जादिर नहीं हो रही है लगे इस
 अपील को आगे चलाए जाने का अब
 कोई अंशिक न हो रहा है इस बाबत
 स्वयं अपील-2 के वकील ने कोशिका पर
 एन्वयर्स के लिए भी लिखा था यह
 अपील इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती
 है यन्त्री केवल शुद्ध होकर बाद
 प्रती दाखिल दफ्तर की जावे

संभागीय आयुक्त
 भरतपुर संभाग, भरतपुर